बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या –वन्यप्राणी-16/2012-160........ **(ई.)** / प.व.ज.प., **पटना– 15, दिनांक 31/01/2020**

बिहार राज्य में लगभग समस्त आर्द्रभूमि क्षेत्र प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित हैं। घनी आबादी के कारण ऐसे क्षेत्रों के विभिन्न स्वरुप पर मानवीय उपयोग का सघनतम दबाव बना रहता है। इन परिस्थितियों में आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु सभी संबद्ध विभागों से विभिन्न अवयवों पर ठोस एव कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010 को अवक्रमित करते हुए आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया गया है।

भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 26.09.2017 के आलोक में नए नियम के प्रभावी होने पर बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1	माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव–सह–विकास आयुक्त, बिहार, पटना	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,/सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य (पदेन)
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य (पदेन)
5	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य (पदेन)
6	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य (पदेन)
7	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य (पदेन)
8	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य (पदेन)
9	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य (पदेन)
10	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना	सदस्य (पदेन)
11	निदेशक, बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेन्टर, पटना	सदस्य (पदेन)
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना	सदस्य (पदेन)
13	सचिव, बिहार राज्य जैव–विविधता पर्षद	सदस्य (पदेन)
14	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद	सदस्य (पदेन)
15	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांची क्षेत्रीय कार्यालय; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
16	श्री सोमनाथ बन्द्योपाध्याय; असोशिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऐण्ड इन्वायरमेंट स्टडीज, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार	विशेषज्ञ सदस्य वेटलैण्ड इकोलॉजी
17	प्रो0 (डॉ0) संतोष कुमार; पूर्व प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (सम्प्रति एन0आई0टी0), पटना	विशेषज्ञ सदस्य हाईड्रोलॉजी
18	डॉ0 रमण कुमार त्रिवेदी; निदेशक (छात्र कल्याण), बिहार पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, पटना (पूर्व प्रोफेसर; मत्स्य, वेस्ट बेंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एण्ड फिशरीज सायन्स, कोलकाता)	विशेषज्ञ सदस्य मत्स्य पालन

19	श्री सुरेश बाबु, निदेशक; नदी, आर्द्रभूमि एवं जल नीति, डब्ल्यू0डब्ल्यू0एफ0, इण्डिया	विशेषज्ञ सदस्य भूदृश्य
20	डॉ0 सूर्यभूषण; सहायक प्रोफेसर (ईकोनॉमिक्स), विकास प्रबंधन संस्था, पटना	विशेषज्ञ सदस्य सामाजिक अर्थशास्त्र
21	मुख्य वन संरक्षक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार	सदस्य सचिव

राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित कार्यों का संपादन किया जायेगा :–

(i) राज्य के आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं सतत् प्रबंधन हेतु नीति निर्धारण तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को परामर्श देना।

(ii) राज्य के आर्द्रभूमियों की पहचान एवं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि (रामसर स्थल), अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि (राष्ट्रीय जलीय पारितंत्र संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत) चिन्हित करने हेतु अनुशंसा करना।

(iii) आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमों 2010 अथवा इन नियमों को प्रतिस्थापित करने वाले आर्द्रभूमि संबंधी नियमों के अंतर्गत प्राधिकार को निर्दिष्ट कार्यों का संपादन करना।

(iv) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मापदण्ड के अनुसरण में विभिन्न विभागों की अधिकारिताओं के भीतर आर्द्रभूमियों की पहचान और वर्गीकरण संबंधी प्रेषित दस्तावेजों की समीक्षा कर अनुशंसा करना।

(v) आर्द्रभूमियों की सीमा एवं जलग्रहण क्षेत्र के बहुपक्षीय अधिकार संबंधी विवादों का हल।

(vi) आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं सतत् प्रबंधन हेतु अन्य राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग।

(vii) आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अन्य प्रावधानित कार्य।

बिहार राज्य आर्द्रभूमि विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–34 (ई0), दिनांक–16.01.2015 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : वन्यप्राणी- 16/2012-160 (ई.) / प.व.ज.प., पटना– 15, दिनांक 31/01/2020

प्रतिलिपिः–सी0 डी0 एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : वन्यप्राणी- 16/2012-..160.. (ई.)/प.व.ज.प., पटना– 15, दिनांक..31../..01../2020

प्रतिलिपिः–प्राधिकरण एवं संचालन/स्थायी समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/2020

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : वन्यप्राणी- 16/2012-..160.. (ई.)/प.व.ज.प., पटना– 15, दिनांक..31../..01../2020

प्रतिलिपि :–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संचालन/स्थायी समिति के सदस्य के रूप में किसी पदाधिकारी को मनोनीत करने की कृपा की जाय।

31/1/2020

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : वन्यप्राणी- 16/2012-..160.. (ई.)/प.व.ज.प., पटना– 15, दिनांक..31../..01../2020

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/2020

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : वन्यप्राणी- 16/2012-..160.. (ई.)/प.व.ज.प., पटना– 15, दिनांक..31../..01../2020

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

31/1/2020

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव